राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

अपील संख्या : 1459/2011

राजेन्द्र प्रसाद नेहरा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये निदेशक, माध्यमिक शिक्षा (स्कूल शिक्षा), बीकानेर (राज.)।
2. संयुक्त निदेशक (डी.ओ.पी.), माध्यमिक शिक्षा (स्कूल शिक्षा), बीकानेर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.12.2011
आदेश की दिनांक : 29.11.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अनुराग कुलश्रेष्ठ, अधिवक्ता
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 12.03.2006 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 1995–96 के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर नियमित पदोन्नति के बजाय व्याख्याता के पद पर 10 वर्ष की सेवा तदर्थ आधार पर पूर्ण होने पर दिनांक 14.10.1986 से चयनित वेतनमान का लाभ दिए जाने के आदेश फरमाए जावें और उसे प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ वर्ष 1984 से 1995 तक अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद का लाभ दिया जावे।

अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं:–

अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर दिनांक 01.07.1982 को हुई थी। अपीलार्थी को अस्थाई/तदर्थ आधार पर व्याख्याता कैडर में वेतनमान 820–1550 आदेश दिनांक 18.03.1986 के द्वारा कार्य करने का निर्देश दिया गया। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 14.04.1986 से उक्त पद पर कार्य

करना प्रारंभ किया। वर्ष 1995–96 के लिए व्याख्याता के रिक्त पदों के लिए दिनांक 19.11.2005 को डीपीसी आयोजित की गई और अपीलार्थी को आदेश दिनांक 10.04.2006 रिक्ति वर्ष 1995–96 के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किया गया और आदेश दिनांक 12.03.2006 के द्वारा 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। जबकि अपीलार्थी उक्त पद पर तदर्थ आधार पर दिनांक 14.04.1996 से कार्य कर रहा है। इस प्रकार उसे दिनांक 14.04.1986 से चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाना चाहिए, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 12.03.1996 के द्वारा वर्ष 1995–96 से उक्त चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 12.03.2006 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 1995–96 के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर नियमित पदोन्नति के बजाय व्याख्याता के पद पर 10 वर्ष की सेवा तदर्थ आधार पर पूर्ण होने पर दिनांक 14.10.1986 से चयनित वेतनमान का लाभ दिए जाने के आदेश फरमाए जावें और उसे प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ वर्ष 1984 से 1995 तक अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद का लाभ दिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी नियम 1971 के नियम 28 के अंतर्गत तदर्थ एवं अस्थाई रूप से एक वर्ष के लिए अथवा विभागीय चयन समित/लोक सेवा आयोग से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने तक या अन्य आदेशों तक जो भी पहले हो तक के लिए नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार अपीलार्थी को उक्त आधार पर नियुक्त किया गया था। व्याख्याता के पद पर अपीलार्थी द्वारा नियमित चयन से पूर्व की अवधि में अस्थाई एवं तदर्थ पदोन्नति पर की गई सेवा अवधि वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृत हेतु निर्धारित 10 वर्ष की अवधि में गणना हेतु नियमानुसार मान्य नहीं की जा सकती। अपीलार्थी का वरिष्ठ वेतनमान विभाग के आदेश

दिनांक 12.03.2006 के द्वारा दिनांक 31.03.2006 से स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार वरिष्ठ वेतनमान नियमानुसार स्वीकृत किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण के विद्वान् अधिवक्ताओं को ध्यानपूर्वक सुना है, जिसमें उन्होंने अपने–अपने अभिवचनों को दोहराया तथा अभिलेख पर उपलब्ध तमाम सामग्री का गम्भीरतापूर्वक परिशीलन कर मनन किया है।

हस्तगत प्रकरण में अभिलेख और अभिवचनों से यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अपीलार्थी की डी.पी.सी. द्वारा वर्ष 1995–96 की रिक्तियों के विरूद्ध विभाग के आदेश दिनांक 10.04.2006 के द्वारा व्याख्याता स्कूल शिक्षा के पद पर पदोन्नति हुई है, इससे पूर्व दिनांक 14.04.1986 से वह तदर्थ रूप से कार्यरत था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य बनाम जगदीश नारायण चतुर्वेदी (2009) 12 एस.सी.सी. 49 दिनांक 08.05.2009 में पारित आदेश एवं शिक्षा विभाग के समान प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटिशन नं. 14491/2013 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर एवं अन्य बनाम श्रीमती इन्दू शर्मा व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.08.2015 में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, जिसमें कार्मिक व्याख्याता के पद पर नियमित पदोन्नति तिथि से सेवा की गणना करके सीनियर स्केल एवं सिलेक्शन स्केल प्राप्त करने का हकदार है, तदर्थ पदोन्नति अवधि की इस प्रयोजनार्थ गणना नहीं की जा सकती है :–

> *"7. In view of the admitted factual matrix, the controversy raised herein may not detain this Court for long in the face of authoritative pronouncement on the issue by the Hon'ble Apex Court of the land in the case of Jagdish Narain Chaturvedi (supra), wherein the Hon'ble Supreme Court held that promotion has to be in the existing cadre in service. Adhoc appointment is always to a post, but not to the cadre/service and is not made in terms of recruitment rules for regular appointment. In case of ad hoc employees, stagnation is till regularization is made. The stress in the present case is on 'regular' appointment*

to cadre/service. The question of promotion arises only when appointment is a regular appointment. Further, appointment to the post is not relevant; on the other hand, what is relevant is the period relatable to cadre of the service. Therefore, while reckoning the required length of service, the period of ad hoc service has to be excluded.

8. In view of the law declared by the Hon'ble Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi (supra), it is evident that the respondent-employee was not appointed in any existing cadre/service, and therefore, ad hoc/temporary appointment will not qualify to be treated as 'regular appointment'.

9. For the reasons and discussions herein above and in view of the law declared by the Hon'ble Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi (supra), the impugned order passed by the learned Tribunal cannot be sustained and has to be quashed and set aside.

10. Ordered accordingly.

11. Consequently, the writ application succeeds. The impugned order dated 11th December, 2002, is hereby quashed and set aside.

12. In view of the final adjudication on the writ application, the stay application stands closed.

13. However, in the facts and circumstances of the case, there shall be no order as to costs."

इस प्रकार अपीलार्थी व्याख्याता के पद पर नियमित पदोन्नति तिथि से सेवा की गणना करके सीनियर स्केल एवं सिलेक्शन स्केल प्राप्त करने का हकदार है, तदर्थ पदोन्नति अवधि की इस प्रयोजनार्थ गणना नहीं की जा सकती। अतः अपील खारिज फरमाई जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की हस्तगत अपील विधितः संरक्षणीय नहीं है। अतः अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)